भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2468

15 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेवाई के अंतर्गत लाभार्थी

2468. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीकेवाई योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके तहत कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है;

(ख) आंध्र प्रदेश में योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पूरा नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत लाभ से वंचित करने पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नोटिस के बाद पात्र लाभार्थियों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): देश में कोविड-19 के अभूतपूर्व प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक व्यावधानों के परिणामस्वरूप, सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के अंतर्गत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर पर लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न अर्थात उनके राशन कार्डों की नियमित पात्रता के अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी। पीएम-जीकेएवाई के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सहित लगभग 80 करोड़ पात्र एनएफएसए लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित खाद्यान्न की मात्रा का विवरण भी **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ग): इस विभाग ने दिनांक 24.10.2017 के पत्र संख्या 1(8)/2017-पीडी-II **(अनुबंध-3)** के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि पात्र लाभार्थियों/परिवारों की सूची से किसी भी लाभार्थी परिवार को केवल आधार नहीं होने के आधार पर हटाया नहीं जाएगा और आधार की अनुपलब्धता या नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग मुद्दों/ लाभार्थी की खराब बायोमेट्रिक या किसी अन्य तकनीकी वजह आदि के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणन की विफलता के कारण एनएफएसए के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए सब्सिडी-युक्त खाद्यान्न या नकद अंतरण (डीबीटी राज्यों में) के लिए भी माना नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों के आधार नंबर को उनके राशन कार्ड से जोड़ने के लिए दी गई समय सीमा को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

अनुबंध-1

लोकसभा में दिनांक 15.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2468 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों/परिवारों की राज्य-वार संख्या				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों की कुल संख्या	दिनांक 28.02.2023 की स्थिति के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	268.22	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.40	8.40	8.40
3	असम	250.31	251.17	251.17
4	बिहार	871.16	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ	200.77	200.77	200.77
6	दिल्ली	72.78	72.78	72.78
7	गोवा	5.32	5.32	5.32
8	गुजरात	341.71	345.15	344.15
9	हरियाणा	126.49	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64	28.64	28.64
11	झारखंड	263.70	264.25	264.12
12	कर्नाटक	401.93	401.93	401.93
13	केरल	154.80	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	470.46	482.58	511.32
15	महाराष्ट्र	700.17	700.17	700.17
16	मणिपुर	18.60	19.97	20.08
17	मेघालय	21.46	21.46	21.46
18	मिजोरम	6.68	6.68	6.68
19	नागालैंड	14.05	14.05	14.05
20	ओडिशा	324.33	324.15	325.03
21	पंजाब	141.51	141.51	141.51
22	राजस्थान	440.01	440.01	440.01
23	सिक्किम	3.79	3.79	3.81
24	तमिलनाडु	364.69	364.69	364.69
25	तेलंगाना	191.62	191.62	191.62
26	त्रिपुरा	24.83	24.83	24.32
27	उत्तर प्रदेश	1465.94	1487.44	1497.77
28	उत्तराखंड	61.94	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84	601.84	601.84
30	अंडमान और निकोबार	0.61	0.61	0.61
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.86	3.02	2.73
32	लक्षद्वीप	0.22	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.79	2.75	2.76
34	पुददुचेरी (डीबीटी)	6.30	6.24	6.34
35	जम्मू और कश्मीर	72.41	72.41	72.41
36	लद्दाख	1.44	1.44	1.44
	कुल	7932.78	7972.50	8010.76

******

अनुबंध-2

लोकसभा में दिनांक 15.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2468 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम-जीकेएवाई	अवधि	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	वितरित मात्रा
चरण-1 (3 माह)	अप्रैल'20- जून'20	120 लाख टन	117.9 लाख टन	112.6 लाख टन
चरण-2 (5 माह)	जुलाई'20- नवंबर'20	201 लाख टन	187.01 लाख टन	186.2 लाख टन
चरण-3 (2 माह)	मई'21- जून'21	80 लाख टन	78.3 लाख टन	75.2 लाख टन
चरण-4 (5 माह)	जुलाई'21- नवंबर'21	199 लाख टन	191.6 लाख टन	186.7 लाख टन
चरण-5 (4 माह)	दिसम्बर'21- मार्च'22	159 लाख टन	153.54 लाख टन	149 लाख टन
चरण-6 (6 माह)	अप्रैल'22-सितंबर'22	239 लाख टन	217 लाख टन	217 लाख टन
चरण-7 (3 माह)	अक्तूबर'22 - दिसंबर' 22	120 लाख टन	92 लाख टन	83.5 लाख टन
कुल (28 माह)		**1118 लाख टन**	**1037 लाख टन**	**1010.5 लाख टन**

*****

अनुबंध-3

लोकसभा में दिनांक 15.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2468 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सं.1(8)/2017-पीडी-2
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24/10/2017

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव,
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र,

विषय: राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग - के संबंध में

महोदय/महोदया,

मुझे, आधार (वित्तीय और अन्य राजसहायता, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम), जिसमें एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड धारण करने वाले व्यक्तिगत लाभर्थियों से अपेक्षा होती है कि वे आधार संख्या का साक्ष्य प्रस्तुत करें अथवा एनएफएसए के तहत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण कराएं और वे लोग जिनके पास आधार नहीं है वे अपना नाम, पता, राशन कार्ड सहित मोबाइल नं. और अपने उचित दर दुकान के मालिकों सहित अन्य ब्यौरा देते हुए आवेदन देकर अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रदत्त वेब पोर्टल के जरिए आधार नामाकंन हेतु आवेदन कर सकते हैं, के तहत एसओ सं. 371 (ई) दिनांक 8.2.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के माध्यम से जारी इस मंत्रालय की अधिसूचना का सन्दर्भ देने का निदेश हुआ है,

यह अधिसूचना आगे यह प्रावधान करता है कि एनएफएसए के तहत राजसहायता के लाभार्थियों को आधार कार्ड जारी होने तक एनएफएसए के तहत पात्रताएं, ऐसे व्यक्ति को राशन कार्ड और या आधार कार्ड नामांकन पर्ची (स्लिप) या उक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध 8 दस्तावेजों में से कोई एक के साथ आधार नामाकंन के लिए राज्य सरकार को किए गए उसके/उसकी अनुरोध की प्रति प्रस्तुत करने पर दी जाएंगी।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन लाभार्थियों को आधार नामाकंन सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करें जिनके पास आधार नहीं है और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राशन कार्ड के साथ उनकी आधार संख्या जुडवाएं। किसी भी व्यक्ति/परिवार को पात्र परिवारों की सूची से नहीं हटाया जाएगा और केवल आधार न होने के कारण एनएफएसए के तहत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करने अथवा खाद्य राजसहायता का नकदी अंतरण के लिए मना नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड डेटाबेस से राशन कार्ड धारक के उचित सत्यापन, जिसमें उचित संदेह से परे पुष्टि हो जाती है कि उक्त राशन कार्ड धारक से संबंधित प्रविष्टि वास्तविक नहीं है, के बाद ही उन्हें राशन कार्ड डेटाबेस से हटाया जाएगा।

.....2/-

3. दिनांक 8 फरवरी, 2017 की उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार, पात्र परिवारों का कोई सदस्य राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की संपूर्ण मात्रा प्राप्त करने के लिए अथवा परिवार की तरफ से एनएफएसए के तहत खाद्य राजसहायता का नकदी अंतरण के लिए पात्र होगा, यदि वह पुरूष/महिला उपर्युक्त पहचान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है/करती है, बावजूद इसके कि परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार नम्बर मौजूद है।

4. नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग से संबंधित समस्या अथवा लाभार्थियों का अस्पष्ट बायोमेट्रिक अथवा अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के असफल होने के मामले में, लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के स्थान पर उनके द्वारा आधार कार्ड को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने के आधार पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न अथवा खाद्य राजसहायता का नकदी अंतरण प्रदान किया जाएगा, जैसा कि आधार अधिनियम (आधार नम्बर रखने का साक्ष्य) की धारा 7 में दिया गया है।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य में सभी क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि केवल आधार नंबर न होने के आधार पर राशन कार्ड डाटाबेस से परिवार के नाम को न हटाया जाए अथवा खाद्यान्न प्रदान न करने की कोई घटना न हो और उपर्युक्त अधिसूचना के विरूद्ध, लाभों को इनकार करने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कठोर कार्रवाई की जाए।

6. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दिनांक 8/2/2017 की अधिसूचना अथवा उपर्युक्त पैरा 4 में यथा-उल्लिखित वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन के आधार पर व्यक्तियों को दिए गए लाभों का ब्यौरा उचित दर दुकान डीलरों द्वारा अपवाद के रूप में अलग से दर्ज किया जाएगा। डीलर को लाभार्थी के आधार कार्ड की प्रति, हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप और अन्य समर्थक दस्तावेजों का अनुरक्षण भी किया जाएगा, जैसाकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा ऐसे अपवादस्वरूप लाभार्थियों का फील्ड सत्यापन सहित मासिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के उपयुक्त तंत्र का निर्माण करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भी उनसे अनुरोध किया जाता है ताकि अपवादों का दुरुपयोग न हो और न ही कोई लाभार्थी छूटने पाए।

भवदीय

ह0/-

(प्रमोद कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति अग्रेषित:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), यूआईडीएआई, तृतीय तल, टावर-2, जीवन भारती भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

******